उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या I/21696 XXIV-C-3/2026/ 12(04)2026
देहरादून, दिनांक 11 अगस्त, 2026

सार्वजनिक नोटिस

एम0पी0जी0 कॉलेज, मसूरी की स्थापना वर्ष 1963 में की गयी। कॉलेज का प्रबंधन और स्वामित्व प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष करते हैं। एम0पी0जी0 कॉलेज, मसूरी राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है, जो कि वर्तमान में हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) से संबद्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर की स्थापना हुयी। एम0पी0जी0 कॉलेज, मसूरी तत्समय से इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के उपरांत भी संबंधित महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

2– भारत सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख–रखाव हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 पारित किया गया जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गयी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 26 के अधीन यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को सम्बद्धता) विनियम, 2009 (संशोधन, 2012) प्रख्यापित किया गया है। इस विनियम के नियम 3.2.1 में प्राविधानित है कि यदि कॉलेज/महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, तो महाविद्यालय का प्रबंधन/संचालन विधिवत् रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–2(13) में संबद्ध महाविद्यालय के **'प्रबंध तंत्र'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

प्रबन्ध तंत्र किसी संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के संबंध में, प्रबंध समिति या ऐसे अन्य निकाय से अभिप्रेत है जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए भारित किया गया है और उसे विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गयी है ।" अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रबंध तंत्र द्वारा किये जाने के प्राविधान निहित हैं । हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2000 के अध्याय 13 में महाविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किए जाने तथा वित्त संपरीक्षा तथा लेखा के संबंध में प्रबंध समिति द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

3– कुलसचिव, हे0न0ब0ग0वि0वि0 के पत्र दिनांक 10.05.2024 द्वारा प्रबन्ध समिति को

File No. HIG-3-C/C5/4/2026-XXIV-C-3-Higher Education Department (Computer No. 98929)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR LODHI, Section Officer-Higher Educaton-3-NKL, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 11/08/2026 03:39 pm

13.03.2024 से अग्रेतर 03 वर्षों की अवधि अथवा नगर पालिका परिषद मसूरी के विधिवत चुनाव सम्पन्न होने तक, जो भी पहले हो तक की अवधी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनवरी, 2025 में नगर निकाय, उत्तराखण्ड के चुनाव सम्पन्न होने के उपरांत वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन संबंधित पत्र अनुपलब्ध हैं।

कार्यवाहक कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के पत्रांक 483, दिनांक 17.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि एम0पी0जी कॉलेज, मसूरी की नवगठित प्रबंध समिति का अनुमोदन दिये जाने से संबंधित प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर गतिमान है तथा यदि उक्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन प्रबन्ध समिति अनुमोदन न होने के कारण रूका हुआ है तो प्रबन्ध समिति को अनुमोदन दिये जाने संबंधी सभी आपत्तियों का निराकरण 31 मार्च 2026 तक करने तथा प्रबन्ध समिति को विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को निर्देशित किया जाएगा। परन्तु आतिथि तक एम0पी0जी कॉलेज, मसूरी प्रबंध समिति के अनुमोदित न होने के कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय के संचालन की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है ।

4– एम0पी0जी कॉलेज, मसूरी के संचालन / प्रबंधन की उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में महाविद्यालय कार्मिकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, महाविद्यालय में शिक्षक / शिणेत्तर कार्मिकों की भर्ती एवं पदोन्नति नहीं हो पा रही है, कार्मिकों के अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, महाविद्यालय में पठन–पाठन दुष्प्रभावित हो रहा है तथा कार्मिकों के अभाव में महाविद्यालय की छात्र संख्या में भी निरन्तर गिरावट हो रही है। संस्था द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता किये जाने से संबंधित तथ्य भी प्रकाश में आये हैं ।

5– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के विधिपूर्ण संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विधिक प्रबंध समिति का होना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 60 (डी) में किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के कार्मिकों को वेतन संदाय प्रदान किये जाने का प्राविधान निहित है, जिसमें महाविद्यालय प्रबंध समिति के प्रतिनिधि एवं उपनिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाने का प्राविधान है। प्रबंध तंत्र की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के प्रबंधन हेतु मात्र प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था प्राविधानित है।

6– वर्तमान में एम0पी0जी कॉलेज, मसूरी में वैधानिक प्रबंध समिति व प्राधिकृत नियंत्रक नहीं होने के दृष्टिगत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 व 58 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित करते हुए प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किया जाना छात्रहित, महाविद्यालय व लोकहित में अपरिहार्य हो गया है।

अतः महाविद्यालय की उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रश्नगत नोटिस / सूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस आशय के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय के संचालन हेतु अधिनियम की धारा 58 के तहत प्राधिकृत नियंत्रक की

File No. HIG-3-C/C5/4/2026-XXIV-C-3-Higher Education Department (Computer No. 98929)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR LODHI, Section Officer-Higher Educaton-3-NKL, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 11/08/2026 03:39 pm

नियुक्ति की जानी है।

अतः उपरोक्त नोटिस/सूचना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो वह अपना पक्ष लिखित रूप से पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कार्यालय सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को ईमेल/डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

पताः– कार्यालय सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय ।

ई–मेल आई०डी०– secy-hedu-ua@nic.in

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम),

सचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित ।

2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को उक्त नोटिस को निःशुल्क समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को तत्काल विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

4. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा सहित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

5. जिलाधिकारी, देहरादून ।

6. प्राचार्य, एम०पी0जी0 कॉलेज,मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा सहित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

7. गार्ड फाईल ।

Digitally signed by
Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 11-08-2026 10:06:31

File No. HIG-3-C/C5/4/2026-XXIV-C-3-Higher Education Department (Computer No. 98929)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR LODHI, Section Officer-Higher Educaton-3-NKL, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 11/08/2026 03:39 pm

उच्च शिक्षा, निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0: डिग्री अर्थ–1/विविध/ 3872 /2026–27 **दिनांक**: 11 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः– डॉ0 प्रमोद कुमार डोबरियाल, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को शासन के पत्र सं0: 421696/दि0: 11.08.2026 का सार्वजनिक नोटिस इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त सार्वजनिक नोटिस उच्च शिक्षा की वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रो0(डॉ0)वी0एन0खाली,
प्रभारी निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड

File No. HIG-3-C/C5/4/2026-XXIV-C-3-Higher Education Department (Computer No. 98929)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR LODHI, Section Officer-Higher Educaton-3-NKL, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 11/08/2026 03:39 pm